न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 410 सन 2023

अनवान :–

1. पवन पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन मेधाना हाल निवासी वार्ड संख्या 2 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मन्जुदेवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट साकिन मेधाना हाल निवासी वार्ड संख्या 2 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. प्रेमसुख पुत्र सुल्तानराम जाति जाट साकिन मेधाना तहसील नोहर।
4. भूपसिह पुत्र मघाराम जाति जाट साकिन मेधाना तहसील नोहर।
5. शादीराम पुत्र मघाराम जाति जाट साकिन मेधाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. गोपीराम पुत्र मोमनराम जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. ओमप्रकाश पुत्र मोमनराम जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर।
3. रमेश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी मेधाना तहसील नोहर।
4. रामसिह पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी मेधाना तहसील नोहर।
5. शिवनारायण पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी मेधाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

7. रविना पुत्री रामचन्द्र जाति जाट साकिन मेधाना तहसील नोहर हाल निवासी वार्ड संख्या 2 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

तरतीबी प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 17/07/2025

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मेधाना के साबिका खसरा न0 131 के भादर पुत्र श्योजीराम खातेदार काश्तकार थे भादर वल्द श्योजीराम जाति जाट ने जरिये मुख्त्यारआम मनफुल वल्द जालुराम जाति जाट को दिनांक 10.05.1979 को बैय कर दी थी तथा तत्पश्चात वाद भूमि तादादी 22.06 बीधा भूमि मनफुल वल्द जालुराम जाति जाट ने रामचन्द्र व प्रेमसुख पि0 सुल्तानराम व भूपसिह व शादीराम पुत्र मधाराम को दिनांक 09.11.1984 को जरिये बेयनामा बेचान कर दी गई थी चुकि रामचन्द्र का देहान्त हो चुका है जिसके वारिस वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवीद संख्या 7 व वादी संख्या 2 उनकी पत्नी है वादी संख्या 3 ता 5 मौजुद है तथा ये उक्त भूमि खारीदार खातेदार काश्तकार है।

उपरोक्त भूमि रोही मौजा मेधाना के साबिका खसरा से हाल खसरा में गत पैमाईश के दौरान पैमुद किये गये रोही मोजा मेधाना के साबिका खसरा संख्या 10 ,119 ,12 ,13 , 156 व 36 ,38 ,44/2 ,44/3 ,441/1 व 445/50 ,50/2 ,50/3 ,54 में परिर्वतन पैमुद किये गये है।

वादीगण व तरतीब प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] भूमि दिनांक 09.11.1984 से खरीद करके कब्जा भूमि प्राप्त कर काबिज हो गये थी [illegible] आज तक कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा अपनी खरीदशुद्धा भूमि [illegible] है सन 1984 से भूमि खरीद करने के बाद सहखातेदारों के साथ [illegible] बंटवारा किया जाकर [illegible]शुद्धा भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:38:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काबिज चले आ रहे है तथा वादीगण के द्वारा खरीद के समय करवाये गये बैयनामा भी कब्जा देने का अंकिन किया हुआ है वादीगण खरीदशुद्वा भूमि पर लगातार काबिज चले आ रहे है

उक्त भूमि जो वादीगण के द्वारा दिनांक 09.11.1984 को जरिये बेयनामा खरीद की गई थी सहवन से नामान्तकरण वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम नही हो सका जिससे खरीदशुद्वा भूमि में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का नाम जमाबन्दी में दर्ज नही हुआ जिससे उत्साहित होकर प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि अपने नाम किन्ही दस्तावेजात के आधार पर अनुचित तौर से दर्ज करवाली तथा वादी भूमि का दिनांक 24.03.2023 को कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण ने दखल देने की कोशिश की गई जिस पर वादीगण ने जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ की वाद भूमि प्रतिवादीगण ने अनूचित तौर से अपने नाम दर्ज करवा ली है

रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 178/178 के खसरा न0 10/1.6060 ,खसरा न0 119/19.994 ,खसरा न0 12/7.9550 ,खसरा न0 13/6.7660 ,खसरा न0 156/10.370 ,खसरा न0 36/2.1250 ,खसरा न0 38 की 8.6000 ,खसरा न0 44/2 की1.42900 , खसरा न0 44/3 की 0.8850 ,खसरा न0 441/1 की 9.4470 ,खसरा न0 445/8.0810 ,खसरा न0 50/2 की 12.457 , खसरा न0 50/3 की 0.2150 , खसरा न0. 54/7.9670हैक कुल 97.8970हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के 1200/97897 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 680/87897हिस्सा ख प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 43537/3426395 हिस्सा अर्थात 5.567828 भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है जो किन दस्तावेजात के आधार पर करवाई गई है वह दस्तावेजात वादीगण के बेयनामा के मुकाबले शुन्य है जो वादीगण के हकों के मुकाबले शुन्य है इग्नोर किये जाने योग्य है।

वादीगण वाद भूमि के खरीददार खातेदार काश्तकार है जो लगतार खरीद के समय से काबिज चले आ रहे है इसलिये वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाया जाकर वादीगण संख्या 1 ,2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 का 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम अनुचित तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से उनके मन में बदयान्ति आ गई तथा वे वाद भूमि में दखल देने की कोशिश में है तथा भूमि अन्यत्र बेचान करने पर उतारू है यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति होगी इसिलये वादीगण प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी भी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कई मर्तबा कहा की वाद भूमि जो वादीगण की खरीदशुद्वा भूमि है और वे उसके खातेदार काश्तकार है उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देने तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर घोषणा की जावे की रोही मोजा मेधाना के खाता संख्या 178/182 के खसरा न0 10 की 1.6060हैक , खसरा न0 119 की 19.994हैक खसरा न0 12 की 7.9550हैक खसरा न0 13 की 6.7660हैक खसरा न0 156 की 10.370हैक खसरा न0 36 की 2.1250हैक खसरा न0 38 की 8.6000हैक , खसरा न0 44/2 की 1.4290हैक , खसरा न0 44/3 की 0.8850हैक खसरा न0 441/1 की 9.4470हैक खसरा न0 445 की 8.0810हैक भूमि खसरा न0 50/2 की 12.457हैक खसरा न0 50/3 की 0.2150हैक खसरा न0 54 की 7.9670हैक कुल 97.8970हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के 1200/97897हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 680/87897हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 43537/3426395 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1200/97897हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 43537/3426395 हिस्सा [illegible] 5.567828हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम से [illegible] कर वादीगण संख्या 1 ,2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 का सयुक्त तौर से 1/4 [illegible] वादी संख्या 3 ता 5 प्रत्येक का 1/4

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:38:49 IST
Reason: SelfAttested

नोहर

हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश करने के आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 या उनका प्लीडर उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई प्रतिवादी संख्या 6 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वादीगण के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे पेरोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया जाकर वादीगण से साक्ष्य लिये गये वादीगण ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र मुख्य परीक्षा व दस्तावेजात व असल बैयनामा की प्रति पेश की गई वादीगण के साक्ष्य लिये जाने के उपरान्त उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मेधाना के साबिका खसरा न0 131 के भादर पुत्र श्योजीराम खातेदार काश्तकार थे भादर वल्द श्योजीराम जाति जाट ने जरिये मुख्त्यारआम मनफुल वल्द जालुराम जाति जाट को दिनांक 10.05.1979 को बैय कर दी थी तथा तत्पश्चात वाद भूमि तादादी 22.06 बीधा भूमि मनफुल वल्द जालुराम जाति जाट ने रामचन्द्र व प्रेमसुख पि0 सुल्तानराम व भूपसिह व शादीराम पुत्र मधाराम को दिनांक 09.11.1984 को जरिये बेयनामा बेचान कर दी गई थी चुकि रामचन्द्र का देहान्त हो चुका है जिसके वारिस वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवीद संख्या 7 व वादी संख्या 2 उनकी पत्नी है वादी संख्या 3 ता 5 मौजुद है तथा ये उक्त भूमि खारीदार खातेदार काश्तकार है।

उपरोक्त भूमि रोही मौजा मेधाना के साबिका खसरा से हाल खसरा में गत पैमाईश के दौरान पैमुद किये गये रोही मोजा मेधाना के साबिका खसरा संख्या 10 ,119 ,12 ,13 , 156 व 36 ,38 ,44/2 ,44/3 ,441/1 व 445/50 ,50/2 ,50/3 ,54 में परिर्वतन पैमुद किये गये है।

वादीगण व तरतीब प्रतिवादीगण द्वारा वाद भूमि दिनांक 09.11.1984 से खरीद करके कब्जा भूमि प्राप्त कर काबिज हो गये थी जो आदिनांक तक कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा अपनी खरीदशुद्वा भूमि की सीव डोल कायम कर रखी है सन 1984 से भूमि खरीद करने के बाद सहखातेदारों के साथ सहमति से बटवारा किया जाकर खरीदशुद्वा भूमि पर काबिज चले आ रहे वादीगण वाद भूमि के खरीदशुद्वा खातेदार काश्तकार है

वादीगण के खरीदशुद्वा भूमि का सहवन से नामान्तकरण दर्ज नही आ सका जिससे वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुआ जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने किन्ही दस्तावेजात के आधार पर वादीगण की खरीदशुद्वा भूमि का अपने नाम दर्ज करवा ली है जिससे वादीगण के हको का हनन होता है वादीगण की खरीदशुद्वा कब्जा काश्त की भूमि को जिस दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादीगण ने अपने नाम दर्ज करवाई है वह वादीगण के हकों के मुकाबले शुन्य है प्रतिवादीगण ने जिस दस्तावेजात के आाधार पर वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवाई गई है वह ईग्नोर करने योग्य है इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करवाकर अपनी खरीदशुद्वा कब्जा काश्त की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया वादी के द्वारा रोही मौजा मेधाना की जमाबन्दी सम्बवत 2001 , 2010 से 2013 प्रस्तुत की गई जिसमें भूमि [illegible] दार के नाम से दर्ज है जिसमें काश्तकारो का अंकन नही है किन्तु जमा[illegible] 202[illegible] 2038 में रोही मौजा मेधाना के साबिका

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:38:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खसरा न0 131 की भूमि भादर वल्द श्योजीराम के नाम से वतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा खसरा मिलान क्षेत्रफल में भी वकाश्त भादर वल्द श्योजीराम की ही दर्ज है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के अनुसार भादर वल्द श्योजीराम जाति जाट निवासी मेधाना ने रोही मौजा खसरा न0 131 की 28.06 बीधा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 10.05.1979 को मनफुल वल्द जालुराम जाति जाट को बेचान कर दी गई तत्तपश्चात मनफुल वल्द जालुराम जाति जाट ने जरिये बेयनामा दिनांक 09.11.1984 को उक्त भूमि रामचन्द्र , प्रेमसुख पि0 सुल्तानराम व भूपसिह व शादी राम पुत्र मधाराम को बेचान कर दी गई थी।

रामचन्द्र पुत्र सुल्तानराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 1 ,2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र से पूर्णत्या साबित है तथा रामचन्द्र के वारिसान के सम्बध में कोई आज्ञेप भी प्राप्त/पेश नही हुआ है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि उनके द्वारा मनफुल वल्द जालुराम जाति जाट से जरिये बेयनामा खरीद की जाकर वाद भूमि पर बैयनामा के समय से लगातार काबिज चले आ रहे है किन्तु सहवन से बेयनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन नही हुआ जिसके कारण वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में बैयनामा अनुसार वादीगण के नाम दर्ज नही हो सकी एवं प्रतिवादीगण ने कुटरचित दस्तावेजात के आधार पर वादीगण की खरीदशुद्वा भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है जिसे प्रतिवादीगण के नाम से कलमजन करवाकर बैयनामा अनुसार अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादीगण का कथन स्वीकार योग्य है क्योकि वादीगण ने अपने कथनों को साबित करने के लिये भादर वल्द श्योजीराम के द्वारा मनफुल वल्द जालुराम को करवाये गये बैयनामा की प्रति एव मनफुल वल्द जालुराम के द्वारा रामचन्द्र , प्रेमसुख पि0 सुल्तानराम व भूपसिह व शादी राम पुत्र मधाराम की प्रमाणित प्रति व मुल बैयनामा की प्रति पेश की गई है जिससे पूर्णत्या साबित है वाद भूमि वादी संख्या 1 ,2 के पूर्वज रामचन्द्र व वादीगण संख्या 3 ता 5 की खरीदशुद्वा कब्जा काश्त की भूमि है

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अन्य काश्तकारो के साथ मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसके सम्बध में वादीगण का ऐतराज नही है वादीगण केवल अपने हक हिस्सा व बैयनामा से खरीद की गई भूमि को बैयनामा अनुसार अपने नाम दर्ज करवा चाहते है जिसके बे अधिकारी भी है

वादीगण के द्वारा जरिये बैयनामा भूमि खरीद की गई थी जो एक रजिस्टर्ड दस्तावेजात है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना चाहिये था किन्तु किसी कारण वशं या सहवन से रजिस्टर्ड दस्तावेजात के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकन नही होने से वादीगण के हक वाद भूमि से समाप्त नही होते है वह कभी भी अपने हकों की घोषणा करवाकर बैयनामा के अनुसर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादीगण बैयनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में किस प्रकार से दर्ज हुई है के सम्बध में सुनवाई हेतु न्यायालय द्वारा रजिस्टर सम्मन जारी किये गये वादीगण ने प्रतिवादीगण को जारी सम्मन की रसीद एव डिलवर रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार रजिस्टर सम्मन प्रतिवादीगण को प्राप्त होने के उपरान्त भी न्यायालय में स्वय या उनका कोई प्लीडर उपस्थित नही आया अर्थात वादीगण का कथन सही माना जा सकता है कि प्रतिवादीगण ने कुटरचित दस्तावेजात के आधार पर वादीगण की खरीदशुद्वा भूमि अपने नाम करवाई गई है जो वादीगण के हको के मुकाबले शुन्य है यदि प्रतिवादीगण या उनका कोई प्लीडर उपस्थित होता तो राजस्व रिकार्ड में अकन को स्पष्ट करता किन्तु उपस्थित नही आने पर वादीगण के कथनो को बल मिलता वादीगण के कथनो को स्वीकार किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:38:49 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा मेधाना के साविका खसरा न0 131 की भूमि पूर्व में भादर वल्द श्योजी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी जिसके द्वारा जरीये बैयनामा दिनांक 10.05.1979 को मनफुल वल्द जालुराम को बेचान की गई थी तत्पश्चात मनफुल वल्द जालुराम ने जरिये बैयनामा दिनांक 09.11.1984 रामचन्द्र , प्रेमसुख पि0 सुल्तानराम व भूपसिह व शादी राम पुत्र मधाराम को बेचान कर दी गई और खरीदशुद्वा भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है खरीददार रामचन्द वल्द सुल्तानराम का देहान्त हो गया जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 1 ,2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 7 है जो वाद भूमि पर काबिज है वादीगण का कथन है सहवन से बैयनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन नही हुआ तथा प्रतिवादीगण ने कुटरचित दस्तावेजात के आधार पर वादीगण के द्वारा खरीदशुद्वा भूमि अपने नाम करवा ली जो वादीगण के हकों के मुकाबले शुन्य है प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में अंकन के सम्बध में सुनवाई हेतु रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आये अर्थात वादीगण के कथनों का स्वीकार किया जा सकता है कि प्रतिवादीगण के द्वारा गलत तौर से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया गया है अर्थात वादीगण बैयनामा दिनांक 09.11.1984 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वाद वादीगण काबिल डिक्री है।

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतो के आधार पर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मेधाना के खाता संख्या 178/182 के खसरा न0 10 की 1.6060हैक , खसरा न0 119 की 19.994हैक खसरा न0 12 की 7.9550हैक खसरा न0 13 की 6.7660हैक खसरा न0 156 की 10.370हैक खसरा न0 36 की 2.1250हैक खसरा न0 38 की 8.6000हैक , खसरा न0 44/2 की 1.4290हैक , खसरा न0 44/3 की 0.8850हैक खसरा न0 441/1 की 9.4470हैक खसरा न0 445 की 8.0810हैक भूमि खसरा न0 50/2 की 12.457हैक खसरा न0 50/3 की 0.2150हैक खसरा न0 54 की 7.9670हैक कुल 97.8970हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के 1200/97897हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 680/87897हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 43537/3426395 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1200/97897हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 43537/3426395 हिस्सा अर्थात 5.567828हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम से कलमजन कर वादीगण संख्या 1 ,2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 का सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा वादी संख्या 3 ता 5 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है शेष खातेदारों के हिस्से व नाम यथावत रहेगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावें व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17/07/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:38:49 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. पवन पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन मेधाना हाल निवासी वार्ड संख्या 2 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मन्जुदेवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट साकिन मेधाना हाल निवासी वार्ड संख्या 2 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. प्रेमसुख पुत्र सुल्तानराम जाति जाट साकिन मेधाना तहसील नोहर।
4. भूपसिह पुत्र मधाराम जाति जाट साकिन मेधाना तहसील नोहर।
5. शादीराम पुत्र मधाराम जाति जाट साकिन मेधाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 गोपीराम पुत्र मोमनराम जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 ओमप्रकाश पुत्र मोमनराम जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर।
3 रमेश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी मेधाना तहसील नोहर।
4 रामसिह पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी मेधाना तहसील नोहर।
5 शिवनारायण पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी मेधाना तहसील नोहर।
6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

7 रविना पुत्री रामचन्द्र जाति जाट साकिन मेधाना तहसील नोहर हाल निवासी वार्ड संख्या 2 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 410 सन 2023 निर्णय दिनांक–17/07/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मेधाना के खाता संख्या 178/182 के खसरा न0 10 की 1.6060हैक , खसरा न0 119 की 19.994हैक खसरा न0 12 की 7.9550हैक खसरा न0 13 की 6.7660हैक खसरा न0 156 की 10.370हैक खसरा न0 36 की 2.1250हैक खसरा न0 38 की 8.6000हैक , खसरा न0 44/2 की 1.4290हैक , खसरा न0 44/3 की 0.8850हैक खसरा न0 441/1 की 9.4470हैक खसरा न0 445 की 8.0810हैक भूमि खसरा न0 50/2 की 12.457हैक खसरा न0 50/3 की 0.2150हैक खसरा न0 54 की 7.9670हैक कुल 97.8970हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के 1200/97897हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 680/87897हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 43537/3426395 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1200/97897हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 43537/3426395 हिस्सा अर्थात 5.567828हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम से कलमजन कर वादीगण संख्या 1 ,2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 का सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा वादी संख्या 3 ता 5 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा (वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा ,वादी संख्या2 का 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा) के खातेदार काश्तकार है शेष खातेदारों के हिस्से व नाम यथावत रहेगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावें यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Signature Not Verified

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.18 18:38:49 IST
Reason: SelfAttested